प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर....(थाना) ...प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।
(प्र.सू.रि.स.) ....143/2023.......... (दिनांक) ....07/06/2023..........

2 I (अधिनियम)7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस
II (अधिनियम)................................ (धाराए) ....
III (अधिनियम) .... (धाराए) ....
IA (अन्य अधिनियम एवं धाराए) ....

3. (क) (दिन).........मंगलवार......(दिनांक से).........06.06.2023......(दिनांक तक)................................
(ख) (पहर) 11:12 ए.एम (बजे से)................................ (बजे तक) ....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना)....................(दिनांक) ....(समय) ....
(रोजनामचा संदर्भ) ....(प्रविष्टि सं.) .129...........(समय) ....04:45PM....

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक).........................लिखित रिपोर्ट ....

5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....बजानिव उत्तर दिशा, दूरी करीब 50 कि.मी....
(ख) (पता)................. कस्बा बाटोदा.............
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) ....
(थाने का नाम) ....(जिला) ....

6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) ....श्री अब्दुल शाईद ....
(ख) (पिता/पति का नाम)..... श्री वहीद खां ....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष)...........44 वर्ष.........(घ) (राष्ट्रीयता).................भारतीय................................
(ड.) (पासपोर्ट सं.) ....
(जारी करने की तिथि) ....(जारी करने का स्थान) ....
(च) (व्यवसाय) ....
(छ) (पता).. ग्राम बैरखण्डी, पुलिस थाना बाटोदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
1. रामकेश मीना पुत्र रामभजन मीना, उम्र 35 वर्ष, निवासी नो–बिसबा, टोडाभीम पुलिस थाना टोडाभीम, जिला करौली हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर
2. कुंजीलाल मीना पुत्र रामस्वरूप मीना उम्र 34 वर्ष, निवासी ठीकरिया, पुलिस थाना बामनवास, सवाई माधोपुर (दलाल)

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) ....

9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें) ....
मांगी गई रिश्वती राशि 20,000/–रुपये।

10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)

12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी सवाई माधोपुर। विषयः–रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत।महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं ग्राम बैरखण्डी पुलिस थाना बाटोदा, तहसील बरनाला का निवासी हूँ। मैं बैरोजगार आदमी हूँ, मैं अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए खेती व बजरी का धंधा करता हूं। मैं हमारे गांव के पास ही बनास नहदी से बहतेड गांव में वैध तरीके से आ रहे बजरी के डंपर खाली करवाता हूँ। डंपर वाले को बजरी का पैसा दे देता हूँ। मैं उसके बाद बहतेड गांव से बजरी को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आस पास के इलाके में बजरी बेचता हूँ। मुझे पुलिस थाना बाटोदा थानेदार रामकेश मीणा व थानेदार रामकेश मीना का दलाल कुंजीलाल मीणा परेशान करते है, कहते है कि अगर तुझे ट्रेक्टर–ट्रोली चलाने है तो 1500 रूपये प्रति ट्रोली या 20,000 रू. मासिक बंधी देनी पडेगी। मैं रामकेश मीणा थानेदार व थानेदार रामकेश मीना के दलाल कुंजीलाल मीणा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। बल्की मैं इन

दोनो को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी थानेदार जी व थानेदार रामकेश मीना का दलाल कुंजीलाल मीणा से कोई रंजिश व पुराना लेन देन बाकी नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। अ0 शाईद पुत्र वहीद खां, जाति मुसलमान, उम्र 44 वर्ष निवासी बैरखण्डी, पुलिस थाना बाटोदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर, मो0नं0 6350580535

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी अब्दुल शाईद पुत्र वहीद खां, जाति मुसलमान, उम्र 44 वर्ष निवासी बैरखण्डी, पुलिस थाना बाटोदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर मय सह परिवादी वजाहत खान ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड के लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं ग्राम बैरखण्डी पुलिस थाना बाटोदा, तहसील बरनाला का निवासी हूँ। मैं बैरोजगार आदमी हूँ, मैं अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए खेती व बजरी का धंधा करता हूं। मैं हमारे गांव के पास ही बनास नहदी से बहतेड गांव में वैध तरीके से आ रहे बजरी के डंपर खाली करवाता हूँ। डंपर वाले को बजरी का पैसा दे देता हूँ। मैं उसके बाद बहतेड गांव से बजरी को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आस पास के इलाके में बजरी बेचता हूँ। मुझे पुलिस थाना बाटोदा थानेदार रामकेश मीणा व थानेदार रामकेश मीना का दलाल कुंजीलाल मीणा परेशान करते है, कहते है कि अगर तुझे ट्रेक्टर–ट्रोली चलाने है तो 1500 रूपये प्रति ट्रोली या 20,000 रू. मासिक बंधी देनी पडेगी। मैं रामकेश मीणा थानेदार व थानेदार रामकेश मीना के दलाल कुंजीलाल मीणा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। बल्की मैं इन दोनो को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी थानेदार जी व थानेदार रामकेश मीना का दलाल कुंजीलाल मीणा से कोई रंजिश व पुराना लेन देन बाकी नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के सम्बन्ध में परिवादी एवं सह परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि हम दोनो के व हमारे परिवार के लोगो के चार ट्रेक्टर चलते है। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट एवं मजिद दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर समय 11:15 ए.एम.– इस समय श्री मनोज कुमार कानि. को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी व सह परिवादी से परिचय करवाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खां को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु वॉइस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर श्री मनोज कुमार कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी व सहपरिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे एवं परिवादी अ. शाईद व सह परिवादी वहादत व श्री मनोज कुमार कानि. को परिवादी के प्राईवेट वाहन से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 02:40 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान एवं श्री मनोज कुमार कानि. उपस्थित कार्यालय आये और परिवादी अब्दुल शाईद ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं व वजाहत खान और श्री मनोज कुमार कानि. मेरे प्राईवेट वाहन से आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना बाटोदा के पास पहुंचे, जहां पर श्री मनोज कुमार ने अपना परिचय देकर वाईस रिकार्डर मुझे चालू कर दे दिया। मैं व वजाहत खान मनोज जी के पास से रवाना होकर पुलिस थाना बाटोदा पहुंचे। जहां पर हमे थानेदार साहब रामकेश मीणा उपस्थित मिला, जिनसे मैने व वजाहत खान ने अपने ट्रेक्टर ट्रोली को चलाने के लिये बातचीत की तो उन्होने कहा की प्रति ट्रेक्टर 1500 रूपये लगेगे जो महिने के हिसाब से 45,000 लगेंगे, तो हमने कहा कि साहब 20,000 कर लो, तो थानेदार जी ने कहा की तुम 20,000 प्रति ट्रेक्टर के हिसाब से कुन्जी या मुझे दे जाना। थानेदार जी ने मेरे से पहले के ट्रेक्टर ट्रोली के पहले के कितने है, तो हमने तीन हजार बताये थे। इसके बाद मैं व वजाहत खांन वहां से रवाना होकर मनोज जी के पास आ गये थे, जहां पर उन्होने मुझसे वाईस रिर्काडर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा थानेदार जी व हमारे मध्य हुई बातों के बारे में मनोज जी को बतायी थी। इसके बाद हम तीनो वहां से रवाना होकर आपके कार्यालय में आ गये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोज कानि. व सह परिवादी वजाहत खान से पूछने पर परिवादी अब्दुल शाईद के कथनो की ताईद की तथा वाईस रिकार्डर मनोज कानि. ने अपने पास सुरक्षित रखा वाईस रिकार्डर पेश किया। इसके बाद मनोज कानि. से वाईस रिकार्डर व स्पीकर को लेपटॉप से अटैच करवा कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना तो परिवादी अब्दुल शाईद व सहपरिवादी वजाहत खान की रामकेश मीना थानेदार के मध्य रिश्वत मांग की वार्ता वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड होना पाई गई, वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप में सेव करवाया गया, परिवादी अब्दुल शाईद ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की थानेदार रामकेश मीना ने हमें कल पैसे लेकर बुलाया है। इसके पश्चात समय 04:00 पी.एम पर परिवादी श्री अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान को रिश्वत में देने वाली राशि 20,000/– रूपये

अपने साथ कल दिनांक 06.06.2021 को ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 06.06.2023 को समय 08:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर उपस्थित आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी अब्दुल शाईद से रिश्वत में देने वाली राशि 20,000/- रूपये बाबत पूछा तो परिवादी ने 20,000/- रूपये अपने पास रखे होना बताया। परिवादी श्री अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान को कार्यालय में बिठाया गया तथा समय-08:40 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री रमेश कुमार कानि. 469 को उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर के पदनाम से तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह हमराह लाने हेतु रवाना किया गया, जो समय समय 08:55 ए.एम. पर अपने हमराह दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आया, गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय पूछा तो उन्होने अपने नाम क्रमशः श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा, जाति ब्राहम्मण, उम्र 34 वर्ष, निवासी गणेश नगर बी, पुलिस थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर हाल व्याख्याता देवनारायण, राजकीय, बालिका आवासीय विद्यालय, मच्छीपुरा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर एवं श्री रामसहाय पुत्र श्री प्रताप चन्द, जाति खटीक, उम्र 59 वर्ष, निवासी शेरपुर पुलिस थाना कुण्डेरा, जिला सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर होना बताया जिनका पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान से आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादीगण द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादीगण द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किये एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 05.06.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी अब्दुल शाईद, सह परिवादी वजाहत खान एवं आरोपी रामकेश मीना, थानेदार पुलिस थाना बाटोदा के मध्य हुई वार्ता के मुख्य अंश स्वतंत्र गवाहान को परिवादीगण की मौजूदगी में सुनाया गया एवं अब तक की ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की समय अभाव के कारण फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार नही की गई। इसके पश्चात समय समय 09.15 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी अब्दुल शाईद पुत्र पुत्र वहीद खां, जाति मुसलमान, उम्र 44 वर्ष निवासी बैरखण्डी, पुलिस थाना बाटोदा, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,00-5,00 के चालीस नोट अर्थात कुल 20,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 CD 670491
2.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 GK 157335
3.	एक नोट 500 रूपये का	7 SN 862324
4.	एक नोट 500 रूपये का	7 SN 862325
5.	एक नोट 500 रूपये का	7 SN 862326
6.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 SN 862327
7.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 SN 862328
8.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 SN 862329
9.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 SN 862330
10.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 SN 862331
11.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 GK 328753
12.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 AU 804915
13.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 BQ 493269
14.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 BG 443683
15.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 GQ 504966
16.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 NR 811129

17.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 KS 087254
18.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 BD 652939
19.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 CN 507418
20.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 HB 709662
21.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 PP 581848
22.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 DC 274259
23.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 DA 674796
24.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 TU 044306
25.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 FG 002901
26.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 BC 153164
27.	एक नोट 5,00 रूपये का	0 CC 503126
28.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 MA 024061
29.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 DR 172898
30.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 NL 062623
31.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 VC 780734
32.	एक नोट 5,00 रूपये का	8 DQ 514929
33.	एक नोट 5,00 रूपये का	6 DC 823525
34.	एक नोट 5,00 रूपये का	3 CP 496597
35.	एक नोट 5,00 रूपये का	9 BA 107216
36.	एक नोट 5,00 रूपये का	4 KU 920536
37.	एक नोट 5,00 रूपये का	5 NU 354982
38.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 MQ 671660
39.	एक नोट 5,00 रूपये का	7 CB 950018
40.	एक नोट 5,00 रूपये का	1 TN 404138

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादीगण को दिखाया जाकर फर्द में अंकित करवाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री प्रदीप गुर्जर क.स. से मालखाने मे रखे फिनॉफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्री प्रदीप गुर्जर क.स. से एक अखबार के उपर फिनॉफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 20,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री अब्दुल शाईद सह परिवादी वजाहत की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय से लिवाई गई तो उनके पास पहने हुये परिधान तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये 20,000/–रूपयो को परिवादी श्री अब्दुल शाईद की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर उसे देवे तथा परिवादी श्री अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान को हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री नवीन कुमार शर्मा से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार शर्मा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल

का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादीगण एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाकर मालखाने में रखवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रदीप गुर्जर से गिलास के धोवन को कार्यालय परिसर के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री प्रदीप गुर्जर के दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी अब्दुल शाईद को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास मोबाईल फोन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद परिवादी अब्दुल शाईद को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 10:00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी अब्दुल शाईद, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन कुमार शर्मा व श्री रामसहाय, श्री हम्मीर सिंह कानि., मनोज कानि. मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप वॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरण सहित एवं श्री जुगलाल कानि., श्री भोलाराम कानि., रमेश कानि., राजवीर कानि. व संजय कुमार कानि. के मय प्राईवेट वाहन से एवं सह परिवादी वजाहत खान को स्वंय की मोटरसाईकिल से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु बाटोदा के लिए रवाना होता हुआ, नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर क.स. को कार्यालय में बाद हिदायत छोडा गया। इसके पश्चात समय 10:50 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी के बाटोदा कस्बा से कुछ दूर पहले परिवादी अब्दुल शाईद के मोबाईल नम्बर 6350580535 से दलाल कुंजीलाल के मोबाईल नम्बर 9664393375 पर स्पीकर ऑन करवाकर व्हाटसऐप कॉल करवाया तो कुंजीलाल ने कहा की मैं तो मलारना डूंगर से आ रहा हूँ, साहब तो माधोपुर गये है एवं बाटोदा मिलने की कही। उक्त व्हाटसऐप वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। रिकार्डर को बन्द कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात समय 11:00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहन एवं सह परिवादी वजाहत खान के बाटोदा कस्बे के पास पहुंचे तथा श्री जुगलाल कानि., श्री भोलाराम कानि., रमेश कानि, राजवीर कानि. व संजय कुमार कानि. को मय प्राईवेट वाहन के कस्बा बाटोदा से थोडी दूरी पर पूर्व छिपाव करते हुये रूकने की हिदायत की गई एवं सह परिवादी वजाहत खान को भी आस पास ही रूकने की हिदायत दी गई तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राईवेट वाहन को कस्बा बाटोदा में बस स्टेण्ड के पास रोड के एक तरफ खडी करवाकर परिवादी अब्दुल शाईद को आरोपी दलाल कुंजीलाल को रिश्वत राशि 20,000/– रूपये देने हेतु मय वाईस रिर्काडर के बाटोदा बस स्टेण्ड पर रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के अपनी उपस्थिति का छिपाव करते हुये परिवादी के रिश्वत स्वीकृति ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। इसके पश्चात समय 11:12 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को परिवादी श्री अब्दुल शाईद ने रिश्वत स्वीकृति के बारे में इशारा किया, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान को अवगत कराते हुये परिवादी अब्दुल शाईद के पास बस स्टेण्ड बाटोदा पहुंचा, जहां पर परिवादी उपस्थित मिला, जिससे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी अब्दुल शाईद ने पास में ही खडे कुंजीलाल की तरफ ईशारा कर बताया की यही कुंजीलाल दलाल है, जिसने थोडी देर पहले मेरे से मांगकर रिश्वत राशि 20,000/– रूपये दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पूछा तो उसने अपना नाम कुंजीलाल होना बताया तथा परिवादी से रिश्वत राशि लेने बाबत पूछा तो आरोपी दलाल कुंजीलाल ने कहा मेरी तो इनसे उधार लेन–देन चलती रहती है। मैने तो अब्दुल शाईद से मेरी उधारी की राशि 20,000/– रूपये ली है, जो मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब में रखी हुई है। इस पर पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी कुंजीलाल दलाल से उधारी सम्बन्धी लिखा–पढी या अन्य कोई उधार सम्बन्धी साक्ष्य बाबत पूछा तो आरोपी चुप हो गया और कोई जबाव नही दिया एवं पास ही खडे परिवादी अब्दुल शाईद ने आरोपी कुंजीलाल दलाल की बातों का खंडन करते हुये कहा की मेरी कुंजीलाल से कोई उधारी व कोई लेन–देन नही है। कुंजीलाल मीना बाटोदा थानाधिकारी का दलाल है और बजरी के ट्रैक्टर ट्रोलीयों को निकालने के लिये ट्रैक्टर ट्रोली वालों से पैसे लेकर थानेदार को देता है। मैने थानेदार के कहने पर ही आज कुंजीलाल को रिश्वति राशि 20,000/– रूपये दी है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रामकेश मीना थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा से मोबाईल फोन पर बात करने के लिये कहा तो अभियुक्त कुंजीलाल दलाल ने बात करने से मना कर दिया तथा थानाधिकारी रामकेश के बारे में पूछा तो कुंजीलाल दलाल ने थानाधिकारी को आज सुबह ही सवाई माधोपुर गये है, होना बताया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्तर से ही थानाधिकारी रामकेश मीना की मौजूदगी के बारे में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि रामकेश मीना थानाधिकारी अपनी स्वंय की सफेद कलर की कार नम्बर 23 BH 2681 अल्काजार से सवाई माधोपुर गया है। तत्पश्चात समय 11:30 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहनो मय अभियुक्त कुंजीलाल दलाल मय कुंजीलाल दलाल की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब मे रखी रिश्वत राशि सहित मय ट्रेप वॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरणों एवं सह परिवादी वजाहत खान को स्वंय की मोटरसाईकिल से सवाई माधोपुर पहुंचने की हिदायत कर सवाई माधोपुर के लिये रवाना हुआ तथा श्री जुगलाल कानि., श्री भोलाराम कानि., रमेश कानि., राजवीर कानि. व संजय कुमार कानि. को मय प्राईवेट वाहन से सवाई माधोपुर पहुंचने की हिदायत दी गई। इसके पश्चात समय 12:15 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहनो मय अभियुक्त कुंजीलाल दलाल मय कुंजीलाल दलाल की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब मे रखी रिश्वत राशि सहित मय ट्रेप वॉक्स व लेपटॉप–प्रिन्टर आदि उपकरणों एवं सह परिवादी वजाहत खान के कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर के पास पहुंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी द्वारा अभियुक्त रामकेश मीना थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा की एवं थानाधिकारी की कार की तलाश की एवं दौरान तलाश उक्त कार कलेक्ट्रेट एवं न्यायालय परिसर के बीच रोड की साईड में खडी मिली। कुछ देर बाद ही एक व्यक्ति उक्त कार में आकर बैठ गया, जिसकी तरफ परिवादी व सह परिवादी ने ईशारा कर बताया की यही रामकेश मीना थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा है, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त कार में बैठे व्यक्ति से कार का ड्राईवर वाला गेट खुलवाकर उक्त व्यक्ति को कार से नीचे उतार कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी का परिचय देकर नाम पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम रामकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा होना बताया। उक्त स्थान पर काफी भीड–भाड होने से अभियुक्त रामकेश मीना की उक्त कार को अभियुक्त रामकेश मीना के कहे अनुसार पास ही खडे श्री राजकुमार पुलिस निरीक्षक को संभलायी गयी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय अभियुक्तगण दलाल कुंजीलाल व रामकेश मीना थानाधिकारी के मय प्राईवेट वाहनो के समय 12.45 पी.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचा एवं दोनो अभियुक्तगण को कार्यालय में जाप्ते एवं गवाहान की निगरानी में रखकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तसल्ली पूर्वक नाम पता पूछा तो अपना नाम पता क्रमशः कुंजीलाल मीना पुत्र रामस्वरूप मीना उम्र 34 वर्ष, निवासी ठीगरिया, पुलिस थाना बामनवास, सवाई माधोपुर एवं रामकेश मीना पुत्र रामभजन मीना, उम्र 35 वर्ष, निवासी नो–बिसबा, टोडाभीम पुलिस थाना टोडाभीम, जिला करौली हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। तत्पश्चात समय 12:50 पी.एम.पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने कार्यालय में जाप्ते की निगरानी में बैठे कुंजीलाल मीना पुत्र रामस्वरूप मीना उम्र 34 वर्ष, निवासी ठीकरिया, पुलिस थाना बामनवास, सवाई माधोपुर की तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री रामसहाय

से लिवाई गई तो अभियुक्त कुंजीलाल दलाल की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जैब में 500–500 रूपये के नोटो की मुडी हुई गडडी मिली, जिसे उक्त गवाह से गिनवाया गया तो 500–500 रू. के 40 नोट कुल 20,000/–रू. होना बताया। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रामसहाय से नोटो नम्बर बुलवाये व स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो वही हूबहू नम्बरी नोट पाये गये। उपरोक्त 20000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप बोक्स में से दो कांच के मग निकलवाकर उनको गवाह श्री नवीन कुमार से कार्यालय में से साफ पानी मंगवाकर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर उक्त गवाह से दोनो दोनो मगो में पानी डलवाकर दोनो मगो को अलग–अलग दूरी पर रखवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवा कर उक्त स्वतंत्र गवाह नवीन कुमार से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बे में से दोनो मगो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त दोनो घोल में आरोपी कुंजीलाल दलाल के दाहिने हाथ व बाये हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व बांये हाथ के धोवन का गंदमेला हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दाहिने व बांये हाथ के उक्त धोबन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर क्रमशः मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2, एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात उक्त गवाह नवीन कुमार से दोनो मगो को साफ साबुन–पानी से धुलवाये गये। इसके पश्चात आरोपी कुंजीलाल दलाल को अपनी पहनी हुई पेन्ट उतार कर पेश करने की कहा जिस पर उसने अपनी पेन्ट उतार कर पेश की तथा आरोपी कुंजीलाल को एक लोअर मंगवाया जाकर पहनाया गया तथा स्वतन्त्र गवाह श्री नवीन कुमार से कार्यालय में से पानी मंगवाकर एक मग में उक्त गवाह से पानी मग में डलवाया गया व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एक चम्मच से निकलवाकर मग में डलवा कर से हिलवाया गया तो पानी का रंग अपरिवर्तित रहा जिसको सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त घोल में आरोपी कुंजीलाल दलाल की पेन्ट की सामने की दांहिनी जैब को उलटवा कर स्वतंत्र गवाह श्री नवीन कुमार से धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात आरोपी कुंजीलाल की पहनी हुये पेन्ट जिसकी सामने की दाहिनी जेब में आरोपी ने रिश्वत राशि रखी थी, उक्त जैब को सुखवाकर जैब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर अंकित करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी श्री अब्दुल शाईद से सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर स्पीकर लगा कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन कोई वार्ता रिकार्ड होना नही पाई गई। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी अब्दुल शाईद से वाईस रिकार्डर के सम्बन्ध में पूछा तो बताया की मैं कुंजीलाल के इंतजार में खडा था तो कुंजीलाल के अचानक आ जाने से वाईस रिकार्डर चालू नही कर सका। वाईस रिकार्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंये के पास सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात श्री रामकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा जिला सवाई माधोपुर से परिवादी अब्दुल शाईद से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में पूछा तो थानाधिकारी रामकेश मीना ने बताया की अब्दुल शाईद मेरे पास आया था, मेरे से क्या बात हुई मुझे याद नही है, मैने अब्दुल शाईद व वजाहत खान से कोई पैसे नही मांगे ना ही मैने कुंजी को किसी प्रकार की रिश्वत लेने को कहा। इस पर पास ही खडे परिवादी अब्दुल शाईद ने थानाधिकारी रामकेश मीना की बात का खण्डन करते हुये बताया कि कल दिनांक 05.06.2023 को मैं व वजाहत खान और श्री मनोज कुमार कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु पुलिस थाना बाटोदा पहुंचे, जहां पर श्री मनोज कुमार ने

वाईस रिकार्डर चालू कर दे दिया। मैं व वजाहत खान वहां से रवाना होकर पुलिस थाना बाटोदा पहुंचे। जहां पर रामकेश जी थानेदार साहब हमको मिले, इनसे मैने व वजाहत खान ने अपने ट्रेक्टर ट्रोली को चलाने के लिये बातचीत की तो इन्होने कहा की प्रति ट्रेक्टर 1500 रूपये लगेंगे जो महिने के हिसाब से 45,000 लगेंगे, तो हमने कहा कि साहब 20,000 कर लो, तो इन्होने कहा की तुम 20,000 प्रति ट्रेक्टर के हिसाब से कुन्जी या मुझे दे जाना। इस पर आज दिनांक को इनके कहे अनुसार मैने रिश्वत राशि 20,000/– रूपये बाटोदा में कुंजीलाल को दे दी थी। इसके बाद परिवादीगण एवं आरोपीगण से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया, जिसकी पृथक से फर्द हस्ब कायदा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढकर सुनाई गई जिसे सुन समझ सही मानकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात समय 02:50 पी.एम. एवं 03.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी कुंजीलाल मीना पुत्र रामस्वरूप मीना उम्र 34 वर्ष, निवासी ठीकरिया, पुलिस थाना बामनवास, सवाई माधोपुर (दलाल) एवं रामकेश मीना पुत्र रामभजन मीना, उम्र 35 वर्ष, निवासी नो–बिसबा, टोडाभीम पुलिस थाना टोडाभीम, जिला करौली हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पदनाम से अवगत कराकर तथा तमाम ट्रेप कार्यवाही से जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस में लिप्त पाये जाने पर जुर्म से आगाह कर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर इन्हे गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण की जामा तलाशी गवाह रामसहाय से लिवायी गयी। इसके पश्चात समय 03:10 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही जप्त/शील्डशुदा शीशीया, शील्ड पैकेट मार्क "पी" एवं वजह सबूत रिश्वत राशि 20,000/–रूपये को प्रभारी मालखाना जुगलाल कानि. को सिपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। इसके पश्चात समय 03:15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी अब्दुल शाईद मय दोनों स्वतंत्र गवाहान के कार्यवाही हाजा में घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका कशीद हेतु सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक संजय कुमार के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बाटोदा पहुंचकर समय 04.15 पी.एम पर परिवादी अब्दुल शाईद की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही घटनास्थल बाटोदा से ब्यूरो कार्यालय के लिय रवाना होकर समय 05.30 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय सवाई माधोपुर पहुंचा। इसके पश्चात समय 05:50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जाप्ता के हमराह वास्ते गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण रामकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस व कुंजीलाल दलाल का स्वास्थय परीक्षण कराने हेतु सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर तहरीर देकर रवाना किया जो बाद स्वास्थ्य परीक्षण करा समय 06.25 पी.एम पर वापस कार्यालय आये। इसके पश्चात समय 07:00 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 05.06.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना जाकर परिवादी एवं सह परिवादी से रिकार्ड वार्ता में आवाजो की पहचान करवाकर पूछ–पूछ कर श्री मनोज कुमार कानि. से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की एक पेन ड्राईव तथा तीन डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद दिनांक 07.06.2023 समय 12:15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 06.06.2023 को परिवादी अब्दुल शाईद के मोबाईल नम्बर 6350580535 से दलाल कुंजीलाल के मोबाईल नम्बर 9664393375 पर स्पीकर ऑन करवाकर व्हाटसऐप कॉल जो वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, को सुना जाकर परिवादी एवं सह परिवादी से रिकार्ड वार्ता में आवाजो की पहचान करवाकर पूछ–पूछ कर श्री मनोज कुमार कानि. से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा रिश्वत सम्बन्धी वार्ता की एक पेन ड्राईव तथा तीन

डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर उक्त डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आईओ प्रति डीवीडी को सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात समय 02:15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही जप्त/शील्डशुदा पेन ड्राईव कुल 02 तथा डीवीडीयां कुल 04 को प्रभारी मालखाना जुगलाल कानि. को सिपुर्द कर जमा मालखाना करवाया। इसके पश्चात समय 02:30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 48 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गईं। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त रामकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके परिवादी अब्दुल शाईद व सह परिवादी वजाहत खान से बजरी के ट्रेक्टर ट्रोली चलाने की एवज में प्रति ट्रोली 1500/– रूपये या 20,000/– रूपये मासिक बन्धी की मांग करना तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.06.2023 को परिवादी व सह परिवादी से दौराने रिश्वत मांग सत्यापन अभियुक्त रामकेश मीना उप. निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा द्वारा बजरी के ट्रैक्टर ट्रोली चलाने की एवज में 45,000 रूपये प्रति ट्रैक्टर ट्रोली की मांग करना तथा परिवादी तथा सह परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर आरोपी रामकेश मीना उप निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा द्वारा 20,000/– रूपये प्रति ट्रैक्टर ट्रोली रिश्वती राशि दिनांक 06.06.2023 को स्वंय अथवा दलाल कुंजीलाल को देने की कहने पर उक्त रिश्वत मांग के अनुसरण में दिनांक 06.06.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में कुंजीलाल मीना पुत्र रामस्वरूप मीना उम्र 34 वर्ष, निवासी ठीकरिया, पुलिस थाना बामनवास, सवाई माधोपुर (दलाल) को रंगे हाथों पकडा जाना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में अभियुक्त रामकेश मीना पुत्र रामभजन मीना, उम्र 35 वर्ष, निवासी नो–बिसबा, टोडाभीम पुलिस थाना टोडाभीम, जिला करौली हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर को पकडा जाने का उक्त कृत्य अन्तर्गत 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादस में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री रामकेश मीना, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर एवं 2. श्री कुंजीलाल मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना निवासी ठीकरिया, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर(दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 143/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 1077-80 दिनांक 7.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

7.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।